दिनांक–23.08.2024 को श्री जय सिंह, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य के सभी जिलों के साथ ऑनलाइन माध्यम से की गई विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक–23.08.2024 को श्री जय सिंह, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा लक्ष्मण तिवारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में राज्य के सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य आरंभ किए जाने के उपरांत प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत जिलावार प्राप्त प्रतिवेदन एवं दिए गए निदेश निम्नवत है :–

1. **जिलास्तरीय ग्रामवार उद्घोषणा** :– समीक्षा में पाया गया कि जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य 43149 राजस्व ग्रामों में आरंभ किया जाना है एवं ग्रामवार उद्घोषणा 42913 राजस्व ग्रामों में प्रकाशित की गई है अर्थात 236 राजस्व ग्रामों में उद्घोषणा नहीं की गई है। जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्त्तमान में अधिसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आनेवाले एवं टोपोलैण्ड तथा असर्वेक्षित ग्रामों के संबंध में स्थानीय अंचलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने के लिए ग्रामों का चयन किया गया है। प्रतिवेदित किया गया कि सॉफ्टवेयर में जिलों के अनेक ग्रामों का नाम प्रदर्शित नहीं होने के कारण उनके उद्घोषणा नहीं की जा सकी है।

   समीक्षा में पाया गया कि ग्रामवार उद्घोषणा के प्रकाशन उपरांत बांका–244, मधेपुरा–39, समस्तीपुर–14, मधुबनी–48, सिवान–220, भागलपुर–28 तथा बक्सर में 62 राजस्व ग्रामों के प्रपत्र–1 को भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं किया गया है।

   निदेशित किया गया कि सर्वप्रथम प्रत्येक जिलान्तर्गत अंचलवार नगरीय अधिसूचित क्षेत्र, टोपोलैण्ड तथा असर्वेक्षित ग्रामों की संख्या सही–सही ज्ञात कर यह सुनिश्चित किया जाए कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य कितने ग्रामों में किया जाना है। साथ ही विशेष सर्वेक्षण आरंभ किए जाने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या को अंतिम रूप से फ्रीज किया जाए। यह भी निदेशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों की उद्घोषणा प्रकाशित कर दी गई है, उनका प्रपत्र–1 भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अविलम्ब अपलोड कर दिया जाए एवं ग्राम के ग्राम अभिलेख में प्रपत्र–1 की प्रति को संधारित कर दी जाए।

2. **नवनियोजित कर्मियों की शिविरवार टैगिंग** :– सभी जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जिलों में पदस्थापित सभी कर्मियों को सभी

शिविरों में टैग कर दिया गया है। कुछ जिलों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अभी तक कुछ नवनियोजित कर्मियों द्वारा योगदान नहीं देने और कुछ नवनियोजित कर्मियों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के कारण कर्मियों की संख्या में अंतर आ रहा है।

निदेशित किया गया कि सभी नवनियोजित कर्मियों को शिविरों में सम्बद्ध कर दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जए कि कोई भी नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मी असबंद्ध (Untag) नहीं रहे। सभी जिलों को निदेशित किया गया कि दिनांक–31.08.2024 तक सभी जिलों में नवनियोजित कर्मियों के पदस्थापन एवं योगदान के आधार पर पदवार/कोटिवार नियुक्त एवं रिक्त पदों से संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

3. **ग्राम सभा का आयोजन** :– समीक्षा में पाया गया कि सभी जिलों द्वारा 42913 राजस्व ग्रामों की उद्घोषणा प्रकाशित की गई है एवं 36862 राजस्व ग्रामों के लिए ग्राम सभा का कैलेन्डर तैयार किया गया है। पटना जिला की समीक्षा में पाया गया कि मात्र 346 राजस्व ग्रामों के ग्राम सभा का कैलेन्डर प्रकाशित किया गया है। इस संबंध में बंदोबस्त पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि नवनियोजित अमीनों के बैचवार प्रशिक्षण के पूर्ण होने के अनुरूप फेजवार ग्राम सभा का कैलेन्डर प्रकाशित किया गया है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि पूर्व में विशेष सर्वेक्षण संचालित बीस जिलों के जिन अंचलों के ग्रामों में ग्राम सभा की जा चुकी है, उनकी संख्या को प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है।

निदेशित किया गया कि सर्वेप्रथम प्रत्येक जिले द्वारा जिन राजस्व ग्रामों की उद्घोषणा कर दी गई है उनका ग्राम सभा का कैलेन्डर प्रकाशित कर दिया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व से ग्राम सभा से संबधित जो कैलेन्डर बनाया गया है उनके अनुरूप ग्राम सभा हो रही है अथवा नहीं। यह भी निदेशित किया गया कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–13411 दिनांक–22.08.2024 के आलोक में ग्राम सभा के कर्यवाहीं फोटो इत्यादि को भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम सभा की प्रगति के संबंध में पूर्व से जिन अंचलों के राजस्व ग्रामों में ग्राम सभा सम्पन्न हो चुकी है उन्हें भी प्रगति प्रतिवेदन में शामिल करते कुल विशेष सर्वेक्षण संचालित राजस्व ग्रामों में ग्राम सभा सम्पन्न राजस्व ग्रामों की संख्या स्पष्ट की जाए।

4. **अन्यान्य** :– बैठक में सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि निदेशालय स्तर से सभी नवनियोजित कर्मियों के वेतनादि के भुगतान के लिए तीन बैंको को चिन्हित किया गया है। अतः इस संबंध में निदेशालय स्थापना से जानकारी प्राप्त कर सभी नवनियोजित कर्मियों का खाता चिन्हित किए गए तीन बैंकों में खुलवाने का प्रयास किया जाए ताकि इन तीन बैंको द्वारा प्रदत्त की जानेवाली सुविधाओं का लाभ

कर्मियों को प्राप्त हो सके। जमुई के बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के दो अंचल झाझा एवं गिद्धौर में विगत सर्वेक्षण के खतियान की स्थिति अत्यन्त जर्जर है। सभी उपस्थित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि सरकारी भूमि की विवरणी प्राप्त करने हेतु जिलावार विभागवार पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने का कार्य समाहर्त्ता के सहयोग से पूर्ण कर यथाशीघ्र सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभागवार भूमि की विवरणी प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया जाए।

विगत सर्वेक्षण एवं विशेष सर्वेक्षण के मानचित्रों की उपलब्धता के संबंध में निदेशित किया गया कि प्रत्येक जिले द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया जाए कि बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से कितने मानचित्र प्राप्त होने थे और कितने प्राप्त हुए एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों से कितने मानचित्र प्राप्त होने थे और कितने हुए। पटना, मधुबनी और सिवान के बंदोबस्त पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उनके जिलों में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी अरहास टेक्नोलॉजी द्वारा एक भी मानचित्र नहीं उपलब्ध कराया गया है। अतः संबंधित एजेंसी के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के विरूद्ध एकरारनामा का अनुपालन नहीं करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(जय सिंह) 29/8
निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 17/तक0को0-312/2018-पार्ट-IV 13519 **पटना, दिनांक** 29/08/2024

प्रतिलिपि : सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17/तक0को0-312/2018-पार्ट-IV 13519 **पटना, दिनांक** 29/08/2024

प्रतिलिपि : उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबार, पटना/सहायक निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप/प्रशाखा पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप
29/8

ज्ञापांक: 17 / तक0को0–312 / 2018–पार्ट–IV 13519 **पटना, दिनांक** 29/08/2024

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को बेवसाईट पर अवलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17 / तक0को0–312 / 2018–पार्ट–IV 13519 **पटना, दिनांक** 29/08/2024

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17 / तक0को0–312 / 2018–पार्ट–IV 13519 **पटना, दिनांक** 29/08/2024

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
29/8/24